ग्राम पंचायत सनौरा, विकास खण्ड रैत व तहसील व जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के

लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि:-01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 **{क} प्रस्तावना:-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सनौरा, विकास खण्ड रैत , जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति सुनीता देवी	23-01-16 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती पुष्पा देवी	25-10-08 से 30-06-16
2.	श्री नवीन नाग	01-07-16 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1.	9	ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना कम दर से गृहकर वसूलने बारे।	----

2 .	10	प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय ।	0.56
3 .	10.1	अनुदानों का अवरोधन ।	13.30
4 .	14	औपचारिकताओं के पूर्ण किए बिना खरीद करने बारे।	1.95
5.	16	क्रय निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियां न करने बारे।	2.52

भाग्म दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सनौरा, विकास खण्ड नगरोटा रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2014 से 31/03 /2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12-02-2018 से 16 -02-2018 तक के दौरान पंचायत कार्यालय सनौरां में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 02 /15 ,11/15 व 02/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 02/15, 09/15 व 03/17 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत सनौरा , विकास खण्ड रैत , जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण

अधियाचना संख्या: 54 दिनांक 16-02-18 द्वारा सचिव, पंचायत सनौरा से अनुरोध किया गया।

4 **वितीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत **सनौरा** द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1} स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत सनौरा के अवधि1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	206546	100479	307025	18196	288829
2015-16	288829	46910	335739	76299	259440
2016-17	259440	80802	340242	90676	249566

{2} अनुदान :-ग्राम पंचायत सनौरां के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट - 1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	169923	1389808	1559731	1340830	218901
2015-16	218901	1062745	1281646	686590	595056
2016-17	595056	2335404	2930460	1600141	1330319

31-3-17 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	KCCB Rait	50058954786	50470
2.	KCCB Rait	20040016809	168826
3.	KCCB Rait	20040018342	1200362
4.	KCCB Rait	20040018386	0
5.	KCCB Rait	50052247865	11192
6.	KCCB Rait	50052247876	62471

7.	KCCB Rait	50052247854	54382
8.	KCCB Rait	50052247843	31834
		cash in hand	348
		Total	**1579885**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख):- ₹ 1579885

(ख) दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 1579885

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत **सनौरां,** की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। अत :पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: भविष्य में पंचायत की रोकड़ वही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract)का तैयार न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका। इस बारे

उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

6 बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्धारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16 के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं करवाया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा द्धारा अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अत:उक्त अवधि के बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹1250 वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 7 तक पंचायत के राजस्व (गृहकर) ₹1250 वसूली हेतु शेष था, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए।

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्रप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	1950	16000	17950	17150	800
2015-16	800	8000	8800	800	8000
2016-17	8000	8250	16250	15000	1250

8 रसीद बुको को जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा चयनित माह की रसीद बुकें अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में वसूली आय की सत्यता की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की सकी अत: रसीद बुकों को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

9 ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना गृहकर की कम दर पर वसूली करना :-

अंकेक्षण द्वारा गृह कर की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2014-15 में ₹50 की दर से गृह कर की वसूली की गई थी जबकि वर्ष 2015-16 से 2016-17 में ग्राम पंचायत के अनुमोदन के बिना पंचायत सचिव द्वारा ₹25 की दर से गृह कर की वसूली की गई थी जो की एक गंभीर मामला है। उच्च अधिकारीयों के ध्यान में विभागीय जाँच हेतु लाया जाता है। अत: बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के गृहकर की दर को कम करके वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनियमित रूप से कम दर से वूसले गए गृहकर की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर नियमित करवाया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए ।

10 प्राप्त अनुदानों की राशि से₹0.56 लाख का अधिक व्यय:-

पंचायत सचिव सनौरा द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 को अनुदान ZP, MMGPY के शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः **₹30605**, **₹25281** पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से **₹55886** अधिक खर्च किए गए। जो की अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

10.1 अनुदान ₹ 13.30 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान **₹13303191** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान

की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 निर्माण कार्यो पर ₹7357 अधिक खर्च करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि में निर्माण कार्यों पर स्वीकृत राशि/प्राप्त राशि से ₹7357 अधिक खर्च किए गए जो की एक गम्भीर मामला है। यदि इन निर्माण कार्यों की कोई स्वीकृत राशि सरकार/विभाग से प्राप्त करना शेष है तो राशियों को तुरन्त प्राप्त कर प्रतिपूर्ति की जाए अन्यथा निम्न राशियों को सम्बंधित से वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

निर्माण कार्य का नाम	**माप पुस्तिका न०**	**स्वीकृत राशि**	**मूल्यांकित राशि**	**वास्तविक व्यय**	**अधिक खर्च**
Path from main road to shamshan ghat (13TH FC)	1889 page 55 to 59	50000	50922	50922	922
Path from main road to ajay kumar house (ZP)	1889 page 49 to 51	25000	20004	25679	5675
Patha from IPH office to madan lal house (MMGPY)	1889 page 68,69	50000	50390	50390	390
Kulh from main path to paras ram house	1889 page 63,64	10000	10029	10370	370
				कुल अधिक व्यय	**7357**

12 सीमेंट की अधिक मात्रा में खरीद करने के कारण₹2176 का अधिक व्यय बारे :-

माप पुस्तिका सं **1889 पृष्ठ 59** की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य “ **रास्ता मेन रोड से शमशान घाट”** तक 53 सीमेंट बैग का प्रयोग किया गया परन्तु उक्त कार्य हेतु कुल

61 बैग सीमेंट के ख़रीदे गए थे जिन्हें स्टॉक रजिस्टर में भी दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार 8 बैग अधिक ख़रीदे गए जो की स्टॉक में भी शेष नहीं दर्शाए गए है। जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹2176 (8 bags @272) की वसूली सम्बंधित से की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

13 इंटों की खरीद के लिए निविदाओं को pool करने बारे:-

सामान्य निधि की रोकड़ बही के वा.सं 67 माह 2/15 मै० भूपिन्दर एन्ड संस गगल ₹48000 की जांच में पाया गया कि 8000 इंटों की खरीद के लिए दो फर्मों से निविदाएँ प्राप्त की थी जिनमें एक ही फ़ोन न० 9418105248 मुद्रित था जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि निविदाओं को औपचारिकताओं के रूप में ही प्राप्त किया है तथा उक्त खरीद में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट कि जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि इस खरीद में किसी भी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया है। उक्त खरीद हेतु केवल दो ही फर्मो से ही निविदाओं को आमंत्रित किया गया था जबकि नियमानुसार तीन फर्मो से निविदाएँ अपेक्षित थी अत: उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी कि स्वीकृति लेने उपरांत नियमित करवाया जाये।

14 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.95 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹194628** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक /स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 क्रय निर्माण सामग्री की मात्रा न दर्शाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट -3** के अनुसार बोल्डर की **15 ट्राली** की खरीद पंचायत द्वारा की गई है परन्तु पत्थर की मात्रा बिल में नहीं दर्शाई गई है जिसके आभाव में बोल्डर की सही मात्रा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जो कि एक गम्भीर मामला है। अत: बोल्डर की मात्रा के स्थान पर केवल ट्राली दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

16 क्रय की गई ₹2.52 लाख की निर्माण सामग्री का भण्डारण पुस्तकों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा प्रस्तुत न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर दिए गए विवरणानुसार **₹252168** की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है , जोकि एक गम्भीर मामला है। क्रय सामग्री की नियमानुसार स्टॉक प्रविष्टियां की जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए ।

17 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
4	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
5	रसीद बुक रजिस्टर
6	खाताबही

18 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह् बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

20 **लघु-आपति विवरणिका:-**लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

21 **निष्कर्ष** :-लेखों के रख-रखाब में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)194/2018 खण्ड–1–4499–4502 दिनांक 22.06.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत सनौरा, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881